भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

49/7, बलबीर रोड़, डालनवाला, देहरादून– 248001

Phone: 0135-2677469, Fax: 0135-2677469, E-mail: bcpuk.ddn@gmail.com, Website: www.bcputtarakhand.in

पत्रांकः 1963 /भाचिप/पी.टी.एन.–1(4)/2016–17 दिनांकः 01/10/2016

ई-मेल

तत्काल/आवश्यक

सेवा में,

प्रधानाचार्य
समस्त मान्यताप्राप्त संस्थान

विषयः वार्षिक मुख्य परीक्षा 2016 के परीक्षाफल के उपरान्त अंक सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित आयुर्वेदिक/यूनानी पाठ्यक्रमों की वार्षिक मुख्य परीक्षा–2016 के परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। इस क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य परीक्षा 2016 के परीक्षाफल के उपरान्त छात्र–छात्राओं को अंक सुधार हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए अंक सुधार परीक्षा आयोजित की जायेगी। अंक सुधार परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश निम्नवत हैं–

1. अंक सुधार परीक्षा हेतु केवल ऐसे सभी अभ्यर्थी अर्ह होंगें जिन्होंनें वार्षिक मुख्य परीक्षा 2016 में प्रतिभाग किया हो।
2. अंक सुधार परीक्षा हेतु सभी पाठ्यक्रमों में किसी भी एक विषय के लिए ही आवेदन किया जा सकता है।
3. अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक पूर्व प्राप्त अंको से अधिक होने पर ही परीक्षाफल/अंकतालिका में सम्मिलित किये जायेंगें।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें मुख्य परीक्षा 2016 की अंकतालिका आवंटित कर दी जायेगी, यदि उनको अंक सुधार परीक्षा में पूर्व में प्राप्त अंको से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें पूर्व में आवंटित अंकतालिका वापस करने पर ही नयी अंकतालिका जारी की जायेगी।
5. अंक सुधार परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क रू0 1250/– है जो कि एक संयुक्त बैंक ड्राफ्ट के रूप में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड के नाम पर देय होगा।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरक परीक्षा हेतु आवेदन कर दिया है वे केवल आवेदन पत्र भरकर जमा करें। उनके एक विषय का पूरक परीक्षा आवेदन शुल्क अंक सुधार परीक्षा में समाहित कर लिया जायेगा। संस्थान को चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची पृथक से प्रेषित करें।
7. अंक सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा नियंत्रक/रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड का निर्देश व निर्णय अन्तिम होगा।

अतः उक्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर अंक सुधार परीक्षा–2016 हेतु इच्छुक छात्र–छात्राओं के पूर्ण रूप से भरे आवेदन–पत्रों को सूची सहित अनिवार्य रूप से दिनांक 10.10.2016 तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

(बीरेन्द्र दत्त मैठाणी)
परीक्षा नियंत्रक/रजिस्ट्रार